विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/761 दिनांक : 13-11-17

प्रति,

प्राचार्य,
ज्ञानोदय इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,
300/02, मेंढ़की चक रोड़,देवास। पिन 455001,

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्ग अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/130,दिनांक 12.04..2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.07.2017 एवं 28.07.2017 में प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात निर्णयानुसार पुनः विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/.120,दिनांक 13.09.2017 के द्वारा नवीन निरीक्षण समित का गठन किया गया, गठित नवीन निरीक्षण समिति द्वारा पुनः निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण समिति की अनुशंसा को विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.10.2017 में प्रस्तुत किया गया जिसमें लिये गये निर्णयानुसार महाविद्यालय द्वारा महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर सत्र 2017–18 से आवेदित विषय की सम्बद्धता निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार प्रदान की जाती है।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.–द्वितीय वर्ष	50
02.	बी.एससी.बी.एड.–द्वितीय वर्ष	50

शर्ते :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.10.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

02. पुस्तकालय में प्रत्येक विषय की प्रत्येक पाठ्यक्रम से संबंधित पॉच–पॉंच पुस्तकें न्यू एडिशन की क्रय कर रखी जाये।

03. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 11 (ग्यारह) नवीन कम्प्यूटर क्रय कर रखे जायें।

04. शुद्ध पेय जल व्यवस्था हेतु तीन वाटर कूलर आर.ओ. के सहित क्रय कर महाविद्यालय के प्रत्येक फ्लोर पर रखें जाये।

05. महाविद्यालय प्रांगण में पौधरोपण कराये जाये। ट्वालेट्स में एक्जास्ट फेन उचित संख्या में लगाये जाये।

06. नाले के तरफ बाउण्ड्रीवाल बनवायी जाये जिससे छात्रों के साथ किसी प्रकार का दूर्घटना न हो।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02